संख्या-09/2022/1025(1)/एक-1-2022-रा0-1

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2022**

विषयः- उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 उपधारा (3) के अधीन 5.0586 हे0 से अधिक भूमि के संक्रमण को प्राधिकृत किए जाने से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रि-परिषद के समक्ष पिनैकल रेनेवेवल एनर्जी प्रा0लि0 द्वारा 05 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु ग्राम कन्दुनी तहसील बिसवां जिला सीतापुर में विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि का उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 (3) के अन्तर्गत विनियमितीकरण किए जाने के संबंध में मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 उपधारा (3) के अधीन 5.0586 हे0 से अधिक भूमि के संक्रमण को प्राधिकृत किए जाने हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-11/2021/928/एक-1-2021-रा0-1 दिनांक-26.10.2021 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः-

क्रम सं0	**शासनादेश दिनांक 26.10.2021 का प्रस्तर-3 का प्राविधान**	**प्रतिस्थापित प्राविधान (संशोधन)**
प्रस्तर-3 (3)	सम्बन्धित जिलाधिकारियों से भूमि के विनियमितीकरण हेतु प्रचलित सर्किल दर के अनुसार विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत का 10 प्रतिशत का आगणन के साथ औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन के राजस्व विभाग द्वारा बिना पूर्व अनुमति के क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद का आदेश/अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।	सम्बन्धित जिलाधिकारियों से भूमि के विनियमितीकरण हेतु प्रचलित सर्किल दर के अनुसार विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत का 10 प्रतिशत का आगणन के साथ औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन के राजस्व विभाग द्वारा बिना पूर्व अनुमति के क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण के प्रस्ताव पर मा0 राजस्व मंत्री का आदेश/अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रस्तर-3 (4)	यदि यह समाधान हो जाय कि कोई अन्तरण, लोकहित में विभिन्न विनिधान प्रोत्साहन नीतियों के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही परियोजनाओं, निजी विश्वविद्यालयों तथा मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए किया गया है, तो राजस्व विभाग द्वारा धारा 89 के उपधारा (3) में निर्धारित जुर्माना के संदाय से छूट प्रदान करने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद का आदेश/अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।	यदि यह समाधान हो जाय कि कोई अन्तरण, लोकहित में विभिन्न विनिधान प्रोत्साहन नीतियों के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही परियोजनाओं, निजी विश्वविद्यालयों तथा मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए किया गया है, तो राजस्व विभाग द्वारा धारा 89 के उपधारा (3) में निर्धारित जुर्माना के संदाय से छूट प्रदान करने के प्रस्ताव पर मा0 राजस्व मंत्री का आदेश/अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
प्रस्तर-3 (5)	राजस्व विभाग एक साथ एक से अधिक प्रकरणों पर मा0 मंत्रिपरिषद का आदेश/ अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। मा0 मंत्रिपरिषद का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् औपचारिक आदेश निर्गत किया जायेगा।	मा0 राजस्व मंत्री के आदेश प्राप्त होने के पश्चात् औपचारिक आदेश निर्गत किया जायेगा।

शासनादेश दिनांक 26.10.2021 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश दिनांक 26.10.2021 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,
सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3. गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को उनके अशासकीय पत्र संख्या-4/2/19/2022-सी0एक्स0(1) दिनांक 16.11.2022 के क्रम में।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।